सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 28/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री कपिल जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन निवासी गौशाला की गली, कोटा रोड बारां, मेसर्स रंगावत ब्रदर्स, श्री जी चौक, बारां
2. श्री जतिन जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन निवासी 87 एस.डी. पब्लिक स्कूल के पास प्रताप नगर–1 बोरखेड़ा अखवा कोटा। मेसर्स रंगावत ट्रेडिंग कम्पनी, 49 वल्लभ बाडी हनुमान मंदिर के पास आर.के.डेयरी के सामने कोटा।
3. श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह सोलंकी (नोमिनी) निवासी 167 मारूति नगर सांवेर रोड इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.) मेसर्स मुनिम जी एण्ड सन्स, प्लॉट नं. 8,9,10,11 खसरा नं. 200/1 ग्राम बोरासाला, इन्दौर (म.प्र.)
4. मेसर्स मुनिमजी एण्ड सन्स, प्लॉट नं. 8,9,10,11 खसरा नं. 200/1 ग्राम बोरासाला,इन्दौर (म.प्र.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 16.01.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.03.2016 को मेसर्स रंगावत ब्रदर्स, श्री जी चौक, बारां पर पहुंचा। वहां पर श्री कपिल जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार **(मालिक एवं विक्रेता)** की की उपस्थिति में निरीक्षण किया। जहां पर खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** जो लगभग 500 ग्राम के 20 पैकेट मात्रा में विक्रय हेतु रखे थे। आवेदक को **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का संदेह होने पर खाद्य वस्तु **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** विक्रेता से 500 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 440/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** के 500 ग्राम के 4 पैकेट को अलग अलग चार नमूना भाग में प्लास्टिक के डिब्बो में भरकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना के डिब्बों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री सुरजमल प्रजापति च0श्रे0 कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2016/152 दिनांक10.05.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./777/एक्ट/2016/1627 दिनांक 27.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य वस्तु **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय द्वारा प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2,4,4 एवं 2,4,5 का अनुपालन नहीं किया है जिसके अनुपालना में विक्रेता कपिल जैन नियम की अज्ञानता के कारण एवं अभ्युक्त क्र. 2 एवं 3 को **NABL** लेब से नमूना टेस्ट करने का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सका है। अतः नमूना लेने की प्रक्रिया दूषित होने के कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में मिर्च पाउडर पुष्प ब्राण्ड को मिसब्रांड इसलिये घोषित किया गया है कि लेबल पर **Ingredient List** अंकित नहीं थी, जबकि उक्त पदार्थ **Single Ingredient Food** की श्रेणी में आता है इसलिये उक्त लेबलिंग में **Ingredient** का अंकन नहीं किया गया है, यदि ऐसा किया जाता है तो वह **FSS** के विरूद्ध होगा जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेविलिंग) रेगुलेशन, 2011 के नियम लेबलिंग की उपधारा 2.2.2 की उपधारा 2 का आरोप पूर्णतः बेबुनियाद और निराधार है। अतः प्रकरण खारिज होने योग्य है।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किया जा रहे खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** का विक्रय किया गया है वह **Single Ingredient Food** की श्रेणी में आता है इसी कारण लेबल पर **Ingredient** का अंकन नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थीगण के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, **लाल मिर्च पाउडर (पुष्प ब्राण्ड)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को कुल 5,000/– अप्रार्थी क्रम 2 को 5000/– एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को 10000/– महायोग 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)